

16/10/25 अधिवक्ता अभ्यपक्ष उप।

अधिवक्ता अपीलॉट ने विद्वोल प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि अपीलॉट इस अपील को आगे चलाना नही चाहता है। तथा आज ही अपील को विद्वोल स्वारिज करवाना चाहता है। अधिवक्ता अपीलॉट के प्रार्थना पत्र पर मनन किया गया। न्यायहित में प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील जरिये विद्वोल स्वारिज की जाती है। पत्रावली फेमल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दायिल दफ्तर है।

हा। म।